मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक /एफ 6-1/2019/एक-9 भोपाल, दिनांक 30 मई, 2019

सामान्य प्रशासन विभाग (स्था.)
कक्ष–7 (1)
म.प्र. मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल
पंजी क्रमांक........
दिनांक........

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः- राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2017-18।

संदर्भः- 1. परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2017/एक-9, दिनांक 19 मई, 2017।
2. परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2019/एक-9, दिनांक 22 फरवरी, 2019।

संदर्भित परिपत्र क्रमांक- 02 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा स्थानांतरण नीति वर्ष 2017-18 की कण्डिका- 9.3 के स्थान पर नयी कण्डिका प्रतिस्थापित की गई थी, जिसमें यह लेख किया गया था कि "प्रतिबंध की अवधि के दौरान तहसील स्तर के संवर्गों के कर्मचारियों का तहसील के अंदर तथा जिला स्तर के संवर्गों के कर्मचारियों का जिले के अंदर प्रशासकीय दृष्टि से स्थानांतरण आदेश जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर जारी किए जा सकेंगे।"

अब राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य स्तरीय संवर्ग के तृतीय श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों का जिले के अंदर स्थानांतरण आदेश प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर द्वारा जारी किए जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(सी.बी. पडवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

2-

पृष्ठांकन क्र. एफ 6-1/2019/एक-9 भोपाल दिनांक 30 मई, 2019

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल।
2. अध्यक्ष राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्य मंत्री कार्यालय, म.प्र.।
4. मान. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.।
5. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल।
8. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
9. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
10. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण), मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
11. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
13. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन, भोपाल।
14. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल।
15. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश इन्दौर।
16. सचिव, म.प्र. राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
17. सचिव, म.प्र. मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
18. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, भोपाल।
19. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर।
20. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल।
21. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।
22. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय भोपाल।

3-

23.अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
24.अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(सी.बी.पड़वार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

<u>मंत्रालय</u>

क्रमांक:एफ 6-1/2019/एक-9 भोपाल, दिनांक 22 फरवरी, 2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2017-18

संदर्भ:- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2017/एक-9, दिनांक 19 मई, 2017

स्थानांतरण नीति की कण्डिका में संशोधित करते हुए कण्डिका-9.3 निम्नानुसार संस्थित की जाती है:-

प्रतिबंध की अवधि के दौरान तहसील स्तर के संवर्गों के कर्मचारियों का तहसील के अन्दर तथा जिला स्तर के संवर्गों के कर्मचारियों का जिले के अन्दर प्रशासकीय दृष्टि से स्थानांतरण आदेश जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर जारी किए जा सकेंगे।

2/ कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सी.बी.पडवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

2-

पृष्ठांकन एफ 6-1/2019/एक-9

भोपाल दिनांक 22 फरवरी 2019

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल।
2. अध्यक्ष राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
3. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्य मंत्री कार्यालय, म.प्र.।
4. मान. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.।
5. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल।
8. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
9. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
10. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण),मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
11. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
13. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन, भोपाल।
14. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल।
15. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश इन्दौर।
16. सचिव, म.प्र. राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
17. सचिव, म.प्र. मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
18. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, भोपाल।
19. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर।
20. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल।
21. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।
22. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय भोपाल।

23.अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
24.अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(सी.बी.पड़वार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 6- 1/2017/एक/9 भोपाल, दिनांक 19 मई 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः-राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2017-18

--0--

राज्य शासन द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर वर्ष 2017-18 हेतु निम्नानुसार स्थानांतरण नीति निर्धारित की जाती हैः-

2/- प्रदेश में राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों के पूरे वर्ष निरन्तर स्थानान्तरण करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। वर्ष 2017-18 के लिए दिनांक 01 जून 2017 से 30 जून 2017 तक की अवधि के लिए प्रतिबन्ध शिथिल किया जाता है। इस अवधि में प्रत्येक विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण कर सकेंगे।

3/- जो विभाग अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में अपने लिए पृथक स्थानांतरण नीति निर्धारित करना चाहेंगे, वे सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से ऐसा कर सकेंगे, परन्तु इस नीति के मुख्य प्रावधानों से अन्यथा नीति नहीं बनाई जायेगी।

4/- इन निर्देशों के अधीन जिला स्तर के संवर्गों के कर्मचारियों का जिले के अन्दर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से **प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत** विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे।

5/- राज्य स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण सामान्य विभागीय प्रक्रिया के अन्तर्गत ही किए जाने चाहिए। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के स्थानान्तरण विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा विभागाध्यक्ष के प्रस्ताव/प्रशासकीय आधार पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत प्रशासकीय विभाग के स्तर से तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के अन्तर जिला स्थानान्तरण विभागाध्यक्ष के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत विभागाध्यक्ष के स्तर से जारी किये जायेंगे।

6 (1) प्रत्येक पद/संवर्ग में वर्ष में (प्रतिबंध अवधि सहित) अधिकतम निम्नानुसार स्थानांतरण किए जा सकेंगे-

क्रमांक	पद/संवर्ग की संख्या	अधिकतम स्थानांतरण का प्रतिशत (पद/संवर्ग में कार्यरत संख्या के आधार पर)
1	200 तक	20 प्रतिशत
2	201से अधिक	40+200 से उपर का 10 प्रतिशत

Quarth

(2) वन विभाग अवैध कटाई, अतिक्रमण तथा आपराधिक स्वरूप के प्रकरणों से संबंधित उपयुक्त (appropriate) मामलों में विभागीय मंत्री के अनुमोदन से स्थानांतरण के उपर्युक्त अधिकतम प्रतिशत से अधिक स्थानांतरण कर सकेगा।

(3) स्कूल शिक्षा विभाग की अपनी पृथक स्थानान्तरण नीति निर्धारित है अत: उनके द्वारा अपनी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप उक्त अवधि में स्थानांतरण किये जायेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग पर यह नीति लागू नहीं होगी।

7/- इस स्थानान्तरण नीति से हटकर किये जाने वाले स्थानान्तरण के प्रकरणों में माननीय मुख्यमंत्रीजी के समन्वय में आदेश प्राप्त करने होंगे।

8/- राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार स्थानांतरण हेतु निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाए:-

8.1 स्थानांतरण द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों में की जाए। अनुसूचित क्षेत्रों में शत-प्रतिशत रिक्त पदों की पूर्ति होने के बाद ही गैर अनुसूचित क्षेत्रों में रिक्त पद स्थानांतरण द्वारा भरे जाएं। अनुसूचित क्षेत्रों में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही स्थानांतरण किए जाएंगे, किन्तु ऐसे स्थानांतरण, उनकी जिले में पदस्थापना की वरिष्ठता के क्रम से किये जायें, अर्थात जो पूर्व से पदस्थ हों उसका स्थानांतरण पहले किया जाये। अनुसूचित क्षेत्रों से गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरित शासकीय सेवकों को तब तक भारमुक्त न किया जाये, जब तक कि उनके स्थान पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पदभार ग्रहण न कर लिया गया हो, परंतु-

8.1.1 उक्त शर्त एक अनुसूचित क्षेत्र से दूसरे अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।

8.1.2 अनुसूचित क्षेत्रों से गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरित शासकीय सेवकों के रिलीवर की प्रतीक्षा किए बिना भारमुक्ति के विशिष्ट आपवादिक प्रकरणों में विभागीय मंत्री द्वारा समन्वय में मुख्यमंत्रीजी का अनुमोदन प्राप्त कर निर्णय किया जा सकेगा।

8.2 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिले में की जायेगी। जिले के भीतर डिप्टी कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर की अनुविभाग में पदस्थापना या अनुविभाग परिवर्तन, कलेक्टर द्वारा, जिला प्रभारी मंत्री से परामर्श उपरान्त किया जा सकेगा ।

8.3 तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की जिले में पदस्थापना/स्थानांतरण जिला कलेक्टर द्वारा जिला प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरान्त ही की जा सकेगी ।

8.4 पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरणों का नियमन मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-73/1998/ब-2/दो, दिनांक 14.02.2007 द्वारा गठित पुलिस स्थापना बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कर्मचारियों के स्थानातरण विभागीय मंत्री के अनुमोदन के पश्चात् तथा अधिकारियों के स्थानान्तरण विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत समन्वय में मुख्यमंत्रीजी के अनुमोदन के पश्चात् किये जायेंगे।

8.5 वन विभाग द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारियों की पदस्थापना वन वृत्त में की जाएगी। वन वृत्त के अंदर परिक्षेत्र में पदस्थापना संबंधित वन संरक्षक द्वारा की जाएगी। वन मंडल के अंदर वन परिक्षेत्र अधिकारियों से निम्न स्तर के अन्य कर्मचारियों के स्थानांतरण वन मंडल अधिकारी द्वारा जिला प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किये जाएंगे।

8.6 जिलों में पदस्थ प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक अधिकारियों के एक ही स्थान पर तीन वर्ष की पदस्थापना पूर्ण कर लेने पर जिले से अन्यत्र प्राथमिकता पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी एक ही स्थान पर सामान्यत: 3 वर्ष या उससे अधिक पदस्थापना की अवधि पूर्ण कर लेने के कारण स्थानांतरण किया जा सकेगा। प्रशासनिक आधार पर किये जानेवाले स्थानान्तरणों में उन शासकीय सेवकों को पहले स्थानांतरित किया जा सकेगा; जिनके द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया हो। इसका आशय यह है कि जिन आधारों पर स्थानान्तरण किया जा सकता है उनमें एक आधार यह भी है। यह अनिवार्य नहीं है कि 3 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानान्तरण किया ही जावे।

वर्क्स एवं रेगुलेटरी विभागों को छोड़कर अन्य विभागों में मात्र 3 वर्ष की अवधि को ही स्थानांतरण का आधार न बनाया जाये। चिकित्सक आदि लंबे समय तक एक ही स्थान पर पदस्थ रह सकते हैं। इसी प्रकार न्यायालयीन निर्णय के अनुपालन, गंभीर शिकायतों, रिक्त पदों की पूर्ति, पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति से वापसी के प्रकरण में विभाग स्वविवेक से निर्णय लेकर स्थानान्तरण कर सकता है। आशय यह है कि

इन आधारों पर 3 वर्ष के पूर्व भी स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।

8.7 परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर अथवा पद अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के कारण स्थानांतरण किया जा सकेगा।

8.8 **स्वयं के व्यय पर आपसी स्थानांतरण-** स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु आवेदन ऑन-लाइन प्रस्तुत किये जायेंगे। स्वयं के व्यय पर रिक्त पद/परस्पर किये गये स्थानांतरण तथा प्रशासनिक कारणों से किये गये स्थानांतरण संबंधी आदेश अलग-अलग जारी किये जाए।

8.9 स्वेच्छा से स्थानान्तरण संबंधी आवेदन में उन शासकीय सेवकों के स्थानान्तरणों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनके द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण किया हो।

8.10 जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष हो, सामान्यत: उनका स्थानांतरण नहीं किया जाए। यदि प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण करना आवश्यक हो तो उनके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार स्थानांतरण किये जाने पर विचार किया जाए।

8.11 पति-पत्नी के स्वयं के व्यय पर एक ही साथ पदस्थापना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा, परन्तु पदस्थापना का स्थान प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित होगा। इसका आशय यह नहीं है कि

पति/पत्नी यदि एक ही जिले/मुख्यालय में कार्यरत हों तो उनका स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है।

8.12 कैंसर जैसी टर्मिनल तथा अत्यंत गंभीर बीमारी, किडनी खराब होने के कारण डायलेसिस करवाने या ओपन हार्ट सर्जरी के कारण नियमित जांच कराना आवश्यक हो और वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर ऐसी सुविधा उपलब्ध न हो तो जिला मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर शासकीय सेवक द्वारा स्थानांतरण चाहने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा।

8.13 शिकायती जांच के परिणामस्वरूप प्रथम दृष्टि में दोष सिद्ध पाये जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतरण किया जा सकेगा। यदि किसी कर्मचारी को शिकायत या अन्य प्रशासनिक कारणों से किसी स्थान से पूर्व में स्थानांतरित किया गया हो तो उसे पुन: उसी स्थान पर पदस्थ नहीं किया जावेगा।

8.14 ऐसे नि:शक्त कर्मचारी, जिनकी निशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, के सामान्यत: स्थानांतरण न किये जायें, किन्तु उनके द्वारा स्वयं के व्यय पर स्वेच्छा से स्थानांतरण का आवेदन देने पर स्थानांतरण पर विचार किया जा सकेगा।

8.15 ऐसे शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को जिनके पति/पत्नी एवं पुत्र/पुत्री मानसिक नि:शक्तता, **स्वलीन** (Autism) अथवा बहुआयामी नि:शक्तता से पीड़ित है, को स्वयं के व्यय पर ऐसी जगह पर पदस्थापना करने के संबंध में विचार किया जा सकेगा, जहां नि:शक्तता से पीड़ित का उपचार एवं पुत्र/पुत्री को शिक्षा सुलभ हो सके, बशर्ते कि वे ऐसी नि:शक्तता के

उपचार/शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से इस बारे में समुचित प्रमाण प्रस्तुत करें।

8.15.1 कमीशन प्राप्त एन.सी.सी.अधिकारियों के स्थानांतरण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि जिन स्थानों पर अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाता है उन स्थानों पर एन.सी. सी. की संबंधित इकाई संचालित हो।

8.16 किन्हीं भी कार्यपालिक कर्मचारियों/अधिकारियों को उनके गृह जिले में स्थानांतरण के द्वारा अथवा पदोन्नति की स्थिति में सामान्यतः पदस्थ न किया जाए, किन्तु अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं के प्रकरणों में उनके गृह जिले में स्थानांतरण किया जा सकेगा।

8.16.1 कृषि विकास संचालनालय एवं कृषि अभियांत्रिकीय संचालनालय के अधीनस्थ तृतीय श्रेणी कार्यपालिक कर्मचारियों को उनके गृह तहसील/विकास खण्ड को छोड़कर गृह जिले में स्थानांतरण के द्वारा पदस्थ किया जा सकेगा।

8.17 जिन कार्यालयों में निर्धारित मापदंड से अधिक स्टाफ है, उसे अन्यत्र स्थानांतरित कर युक्तियुक्तकरण किया जावे।

8.18 तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग के जिन संस्थाओं विद्यालयों/महाविद्यालयों में विषयवार निर्धारित संख्या से अधिक शिक्षक कार्यरत हों, वहां से अतिशेष शिक्षकों को अन्यत्र पदस्थ किया जाये। ऐसा करने में कनिष्ठतम शिक्षक को अतिशेष कर्मचारी होने की स्थिति में सबसे पहले स्थानांतरित किया जाए, किन्तु

मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए महिला, 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले विकलांग एवं ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम समय शेष है, उन्हें अतिशेष मान कर स्थानांतरित नहीं किया जाये। स्वीकृत पद से अधिक पदस्थापना किसी भी स्थिति में न की जावे। पदस्थापना के समय विषयवार रिक्ति का ध्यान रखा जाये एवं तदनुसार ही पदस्थापना की जाये।

8.19 राज्य शासन से पत्राचार करने की मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के प्रदेश/संभाग/जिला/तहसील/विकास खण्ड शाखा के पदाधिकारियों यथा-अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष को पद पर नियुक्ति उपरांत स्थानांतरण से दो पदावधि के लिये अर्थात 4 वर्ष तक की सामान्यत: छूट प्राप्त होगी। यह सुविधा उसके पूरे सेवाकाल में नियमानुसार दो पदावधि के लिये मिलेगी। 4 वर्ष से अधिक पदस्थापना अवधि पूर्ण होने पर प्रशासकीय आवश्यकता अनुसार ऐसे पदाधिकारियों को भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। संगठन के पदों में नियुक्ति की पूर्व सूचना के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि का आधार मुख्य होगा। इस संबंध में शासन के पत्र क्रमांक एफ 10-6/05/1-15/क.क. दिनांक 24 अप्रैल, 2006 के प्रावधानों का अवलोकन करें, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों द्वारा निर्वाचन के पश्चात् निर्वाचित पदाधिकारियों की सूची उनके कार्यकाल सहित संबंधित कलेक्टर को दी जायेगी इसके साथ-साथ संबंधित विभाग प्रमुख, जहां वे कार्यरत हों, तथा सामान्य प्रशासन विभाग (कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ) को दिनांक 30 अप्रैल की स्थिति

में सौंप दी गई हो, उन्हीं पदाधिकारियों को स्थानांतरण से छूट का लाभ दिया जाना चाहिए।

8.20 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत अस्पतालों/डिस्पेंसरी में कार्यरत डाक्टर्स/नर्स/स्टाफ का युक्तियुक्तकरण किया जाये।

8.21 किसी भी स्थापना में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जावेगी।

8.22 क्रय/स्टोर/स्थापना शाखा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्यत: 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर अन्य शाखा में/अन्य स्थान पर पदस्थ किया जाए। जो अधिकारी/कर्मचारी वित्तीय अनियमितताओं एवं शासकीय धन के दुरूपयोग/गबन आदि के प्रकरणों में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाएं, उन्हें ऐसे पदों से हटाया जाए। ऐसे दोषी कर्मचारियों को पुनः ऐसे पद पर पदस्थ न किया जाए।

8.23 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने याचिका क्रमांक 14195/2007(एस) में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 20.11.2008 में शासन द्वारा कर्मचारियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण में स्थानांतरण नीति के अंतर्गत जारी निर्देशों का ध्यान नहीं रखने पर टिप्पणी की है, जैसे- बिना रिक्त पद के स्थानांतरण किया जाना। पद रिक्त न होने के कारण कर्मचारियों को न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है, अतः विभाग आदेश जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतरण जहां किया जा रहा है वहां पद रिक्त है या नहीं। आदेश जारी करने के पूर्व, विभाग द्वारा पद रिक्तता का पालन सुनिश्चित

कराने का दायित्व विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव का रहेगा तथा विभागाध्यक्ष स्तर से किये गये स्थानांतरण में दायित्व विभागाध्यक्ष का रहेगा। स्थानांतरण संबंधी प्रकरणों में मान. उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करने हेतु निर्देशित किये जाने पर ऐसे प्रकरणों पर आवेदक के अभ्यावेदन के सभी बिन्दुओं पर विचार करते हुए कारण सहित बोलता हुआ आदेश (Speaking order) किया जाय जिसकी प्रति अभ्यावेदक को भी दी जावे।

8.24 जिस जिले में अधिकारी पूर्व में पदस्थ रह चुके हों, वहां उनकी उसी पद पर पुनः पदस्थापना सामान्यत: नहीं की जाए।

8.25 राज्य शासन की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में न्यूनतम स्थानांतरण किये जायें एवं इन योजनाओं में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण, योजना क्रियान्वयन विभाग की अनापत्ति के बिना न किए जाएं।

8.26 संलग्न तालिका में सम्मिलित कम लिंगानुपात वाले 09 जिलों में उच्च प्रशासनिक पदों पर यथासंभव महिला अधिकारियों की पदस्थापना की जावे।

8.27 जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नैतिक पतन संबंधी आपराधिक प्रकरण लंबित हों, उनकी तैनाती कार्यपालिक (executive) पदों पर न की जाए। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों जिनके विरूद्ध विभागीय जांच लंबित हो, की पदस्थापना सामान्यतः कार्यपालिक (executive) पदों पर नहीं की जाए।

8.28 समस्त स्थानान्तरण आदेश ऑन लाइन ही जारी किये जायेंगे।

9. **प्रतिबंध अवधि के दौरान स्थानांतरण-**

9.1 प्रतिबंध अवधि के दौरान मुख्य रूप से न्यायालयीन निर्णय के अनुपालन, रिक्त स्थान की पूर्ति, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी के प्रकरणों में स्थानांतरण किए जा सकेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु श्रृंखला बनाना इस कंडिका के तहत प्रतिबंधित होगा।

9.2 कंडिका 9.1 से अन्यथा स्थिति में प्रतिबंधित अवधि में समस्त स्थानांतरण समन्वय में आदेश प्राप्त कर किए जाएंगे ।

9.3 प्रतिबंध की अवधि के दौरान तहसील स्तर के संवर्गों के कर्मचारियों का तहसील के अंदर तथा जिला स्तर के संवर्गों के कर्मचारियों का जिले के अंदर प्रशासकीय दृष्टि से अत्यंत आवश्यक होने पर स्थानांतरण आदेश जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर जारी किये जा सकेंगे।

9.4 प्रतिबंध अवधि के दौरान पुलिस विभाग के जिला स्तर के संवर्गों के कर्मचारियों का जिले के अंदर प्रशासकीय दृष्टि सेअत्यंत आवश्यक होने पर स्थानांतरण आदेश प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किये जाएंगे। यह स्थानांतरण विशेष परिस्थितियों में ही किये जा सकेंगे।

9.5 आदेश जारी करने के पूर्व, विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति के महत्वपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित कराने का

दायित्व विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव का रहेगा तथा विभागाध्यक्ष स्तर से किये गये स्थानांतरण में दायित्व विभागाध्यक्ष का रहेगा। जिला स्तर पर यह दायित्व संबंधित विभागीय अधिकारी का रहेगा।

10/- यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि स्थानांतरण आदेश का निरस्तीकरण अथवा संशोधन स्थानांतरण की श्रेणी में ही आता है। अतएव ऐसे प्रकरणों में स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में स्थानांतरण के लिये निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण आवश्यक है। जहॉ तक एक ही मुख्यालय पर स्थित अलग-अलग कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों के स्थानांतरण का प्रश्न है, इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि एक ही मुख्यालय पर स्थित एक कार्यालय से उसी मुख्यालय पर स्थित दूसरे कार्यालय में प्रशासकीय दृष्टि से स्थानीय परिवर्तन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है।

10.1 एक ही मुख्यालय में स्थित एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में किया गया स्थानांतरण स्थानीय व्यवस्था है, इसे स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा।

11/- **कार्यमुक्ति हेतु समयावधि -**

स्थानांतरण आदेश जारी होने के दो सप्ताह के भीतर स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा।

12. **कार्यमुक्ति की अवधि में वृद्धि -**

यदि किन्हीं महत्वपूर्ण लंबित शासकीय कार्यो को निपटाने के

लिए कार्यमुक्त करने में कठिनाई हो तो कार्यमुक्त करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी करने वाले अधिकारी से पूर्वोक्त दो सप्ताह की अवधि बढ़ाने का तत्काल अनुरोध किया जाएगा। स्थानांतरण आदेश जारी करने वाला अधिकारी लिखित में कार्यमुक्त होने की अवधि को 10 दिवस से अनाधिक बढ़ा सकेगा। ऐसी बढ़ी हुई अवधि तक ही स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी पूर्व पदस्थापना पर रोका जा सकेगा।

12.1 एकतरफा कार्यमुक्ति -

यथा स्थिति; दो सप्ताह की सामान्य समयावधि अथवा बढ़ी हुई समयावधि व्यतीत हो जाने पर, सक्षम प्राधिकारी या उससे वरिष्ठ स्तर का अधिकारी स्थानांतरित अधिकारी /कर्मचारी को कार्यमुक्त करेगा। उक्त अवधि में स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी यदि कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे एक तरफा कार्यमुक्त किया जाएगा। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित होना माना जाएगा।

12.2 वेतन आहरण -

i स्थानांतरण आदेश के क्रियान्वयन के लिए सभी स्थानान्तरण आदेशों में ट्रेजरी में प्रयुक्त होने वाला एम्पलाई कोड डालना अनिवार्य होगा। कार्यमुक्ति के लिये पूर्वोक्त कंडिकाओं में निर्धारित समयावधि के उपरांत कर्मचारी/अधिकारी का वेतन का आहरण जिस स्थान से स्थानान्तरण किया गया है उस स्थान से अनिवार्यतः बंद हो जायेगा। यदि इसके विपरीत वेतन आहरित होता है, तो यह वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी। कार्यमुक्ति के तत्काल पश्चात् अंतिम वेतन प्रमाण

पत्र तथा अन्य सेवा अभिलेख आवश्यक रूप से नवीन पदस्थापना कार्यालय को भिजवा दिए जाएंगे। इसके लिए कार्यालय प्रमुख, आहरण व संवितरण अधिकारी विशेष रूप से उत्तरदायी होगा।

ii कार्यमुक्त होने के पश्चात् स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा।

12.3 अवकाश स्वीकृति -

कार्यमुक्त होने के पश्चात् एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् ही स्वीकृत किया जा सकेगा।

12.4 अपालन की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही -

स्थानांतरण आदेश का बिना युक्तिसंगत कारणों से अपालन, बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान करने वाले अधिकारी, कर्मचारी के विरूद्ध पृथक से अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जावे।

13/- स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा।

14/- स्थानांतरण के विरुद्ध अभ्यावेदन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2005/1/9, दिनांक 10.5.2005, 29.7.2005, 9.8.2005, 29.10.2005 एवं 14.03.2016 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निपटाए जायेंगे। जहाँ तक कलेक्टर/विभागीय अधिकारी, वन संरक्षक एवं पुलिस अधीक्षक

द्वारा जारी किए गये स्थानांतरण आदेशों के विरूद्ध अभ्यावेदन का प्रश्न है, इनका निराकरण विभागाध्यक्ष के द्वारा संबंधित विभाग के विभागीय मंत्री के अनुमोदन से किया जाएगा।

15/- कर्मचारियों/अधिकारियों को दोहरा प्रभार नहीं दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में यह व्यवस्था किये जाने पर औचित्य दर्शाया जाना आवश्यक होगा।

16/- सामान्यतः स्थानांतरण द्वारा रिक्त होने वाले पद की पूर्ति उसी पद के समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना से की जाए। नियमित अधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतरण कर उस पद का प्रभार कनिष्ठ अधिकारी को न दिया जाए।

17/- सभी प्रकार के संलग्नीकरण समाप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

18/- विभागीय प्रमुख सचिव/विभागाध्यक्ष जारी किये गये स्थानांतरण आदेश की एक प्रति आदेश जारी होने के दिनांक को ही सामान्य प्रशासन विभाग के ई-मेल psgad@mp.gov.in पर प्रेषित करेंगे। प्रमुख सचिव/विभागाध्यक्ष इस मेल को भेजने के लिये स्वत: उत्तरदायी होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

19.5.101

(सीमा शर्मा)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

स्थानांतरण नीति वर्ष 2017-18 (बिन्दु क्र. 8.26)

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के 900 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की तालिका

क्रमांक	जिले का नाम	लिंगानुपात
1.	मुरैना	839
2	भिण्ड	838
3.	ग्वालियर	862
4.	शिवपुरी	877
5.	दतिया	875
6.	छतरपुर	884
7.	सागर	896
8.	विदिशा	897
9.	रायसेन	899

पृ. क्रमांक एफ 6-1/2017/एक/9 भोपाल, दिनांक 19 मई 2017

प्रतिलिपि,

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर।
5 सचिव, लोकायुक्त,म.प्र. भोपाल।
6. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, म.प्र. इंदौर।
7. विशेष सहायक/निज सचिव, मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री, म.प्र. शासन।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग, म.प्र. भोपाल।
10. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता/अधिवक्ता, म.प्र. जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
11. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
12. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. भोपाल।
13. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल।
15. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
16. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
17. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
18. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

19/05/17

(डॉ0 अमिताभ अवस्थी)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग